



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3227 / SEIAA/2022

Date: 21/3/22

प्रति,

मेसर्स सतगुरु प्रा. लि.,

निदेशक, श्री राजेश बंसल,

निवासी 601, एरेन हाईट्स, पी.यू.-3, स्कीम नं. 54, सी-21 मॉल के पीछे,

-ए.बी. रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.)-452010

**विषय:- प्रकरण क्र. 8185/2021** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरु प्रा. लि., निदेशक, श्री राजेश बंसल, निवासी 601, एरेन हाईट्स, पी.यू.-3, स्कीम नं. 54, सी-21 मॉल के पीछे, ए.बी. रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.)-452010 द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 7600 से 300000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.773 हेक्टेयर, खसरा 160, 162, 203, 167, 168, 169, ग्राम घुरसल, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 543वी बैठक दिनांक 27.01.2022 में अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 705 वी बैठक दिनांक 15.2.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन कर पाया कि इस प्रकरण में लाईमस्टोन खनन में लगभग 40 गुना वृद्धि करने का प्रस्ताव है जो कि पर्यावरणीय प्रभाव की दृष्टि से अत्यधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार को लाईमस्टोन की प्रास्पेक्टिंग रिपोर्ट के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु आगामी बैठक में आमंत्रित किया जाये जिससे कुल खनिज रिजर्व की मात्रा का आकलन आँकड़ों एवं मैप्स द्वारा प्रदर्शित हो।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रस्तुतीकरण हेतु आगामी सिया बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(आलीक नायक)

प्राथमिक अधिकारी